

न्यायालय तहसीलदार, ब्यावर, जिला-अजमेर (राज.)

राजस्व मुकदमा नम्बर - 38/2019

सरकार जरिये पटवारी हल्का ब्यावर खास

बनाम

श्रीमती सोहनी पत्नि बैली जाति-मेहरात निवासी-ब्यावर खास

मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :

साराशतः प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम-ब्यावर खास, पटवार मण्डल-ब्यावर खास, तहसील-ब्यावर के खसरा नम्बर 70 कुल रकबा 00-08-00 किस्म-दांती में से रकबा 00-08-00 एवं खसरा नम्बर 72 कुल रकबा 13-17-00 किस्म-दांती में से रकबा 01-00-00 सरकारी सिवायचक भूमि पर श्रीमती सोहनी पत्नि बैली जाति-मेहरात निवासी-ब्यावर खास ने अवैध रूप से ज्वार की फसल काशत करके अतिचार करने पर पटवारी हल्का ब्यावर खास ने उक्त अतिक्रमी के विरुद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अप्रार्थी उपस्थित, लेकिन किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसी स्थिति में अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण से बेदखल किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम ब्यावर खास की सरकारी सिवायचक भूमि के ख.नं. 70 व 72 पर अप्रार्थी द्वारा किये गये अवैध रूप से ज्वार की फसल काशत के रकबे से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा भूअ.निरीक्षक/हल्का पटवारी को आदेश दिये जाते हैं कि अतिक्रमित भूमि पर अवैध कब्जे पर पत्थर आदि कोई सामग्री पडी हो तो जब्त सरकार कर नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही करे तथा फर्द नीलामी वास्ते स्वीकृती हेतु पेश करे। साथ ही अतिचारी पर वार्षिक लगान रू. 0.30 का पचास गुना राउंड फीगर राशि रू. 50/- पेनल्टी कायम की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार/हल्का पटवारी /भूअभिलेख निरीक्षक को कब्जा/बेदखली/ ध्वस्त कार्यवाही/जब्ती/नीलामी/डिमाण्ड कायमी/वसूली आदि की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पृथक से लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यालय कार्यवाही की जावे।


तहसीलदार ब्यावर

Scanned by CamScanner

